

गाडिया लोहारों हेतु कच्चा माल क्रय करने हेतु प्रार्थना पत्र

1. प्रार्थी का नाम
2. पिता/पति का नाम
3. व्यवसाय
4. निवास स्थान (पूरा पता)
5. कुटुम्ब के सदस्यों की संख्या

मैं घोषणा करता हूँ कि मैं गाडिया लोहार हूँ और मैं लोहारगिरी करता हूँ। मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि जो धनराशि सहायता के रूप में मिलेगी उसका उपयोग उसी प्रयोजन के लिए करूंगा जिसके लिए स्वीकृति प्रदान हुई है। इस सम्बन्ध में जो भी नियम एवं आदेश निकलेंगे मैं (प्रार्थी का नाम) पूर्णरूपेण उसका पालन करूंगा।

अनुदान की राशि से खरीदे गए कच्चे माल की रसीदें और उपयोगिता प्रमाण पत्र राशि प्राप्त होने के तीन माह में प्रस्तुत कर दूंगा। मैं यह भी प्रमाणित करता हूँ कि मैंने इससे पूर्व इस कार्य हेतु ऋण नहीं लिया है/ सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की सहायता नहीं ली है।

प्रार्थी के हस्ताक्षर

साक्षी 1.

2.

जाति प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री
पुत्र श्री मोहल्ला
तहसील जिला जो गत एक वर्ष से इस क्षेत्र में
स्थाई निवास कर रहे हैं, गाडिया लोहारों में से हैं और वर्तमान में लोहारगिरी का व्यवसाय करते
हैं।

(हस्ताक्षर)

पद (मोहर)

नोट - यह प्रमाण पत्र किसी राजपत्रित अधिकारी/ संसद सदस्य/ विधायक/ तहसीलदार अथवा प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट से हस्ताक्षरित कराया जायेगा।

चयन समिति की सिफारिश

समिति यह सिफारिश करती है कि नियमानुसार प्रार्थी के नाम लोहारगिरी के लिए कच्चा माल क्रय करने हेतु अनुदान सहायता राशि रूपये स्वीकृत की जा सकती है।

हस्ताक्षर

समिति के पदाधिकारी

1. समाज कल्याण अधिकारी
2. कलेक्टर का प्रतिनिधि
3. जिला उद्योग अधिकारी

अनुदान स्वीकृति

चयन समिति की सिफारिश के आधार पर श्री पुत्र
श्री निवासी
..... के पक्ष में कच्चा माल क्रय करने हेतु राशि रूपये तक अनुदान सामग्री
दिए जाने की स्वीकृति दी जाती है।

दिनांक :

जिला अधिकारी,
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग